न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, सी.आर. मीना आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 11/2015 अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

झूंथाराम गुर्जर पुत्र सोना राम गुर्जर, निवासी ग्राम गुरारा, तहसील खण्डेला जिला सीकर (राजस्थान) उचित मूल्य दुकानदार ग्राम गुरारा तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.)।

अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र पारीक अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. इन्द्रपाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 27.02.2015 द्वारा जिला रसद अधिकारी, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 27 अगस्त, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) अपीलान्ट 1987 से ग्राम गुरारा में राशन सामग्री का वितरण करता आ रहा है। अपीलान्ट के विरूद्व सतर्कता समिति व ग्राम के उपभोक्ताओं की कोई शिकायत नहीं रही है। अपीलान्ट पर राजनैतिक रंजिशवश पूर्व में दर्ज अनियमितता को पुनः अंकित करके झूंठी अनियमितता के आधार पर दिनांक 27.02.2015 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है, जो कानून विरूद्व है।

(2) अपीलान्ट के वितरण निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया हुआ है। सतर्कता समिति का मुख्य कार्य उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा प्राप्त स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण करना एवं विभिन्न कार्डधारकों को समय—समय पर सामग्री का वितरण कार्य देखना एवं उचित मूल्य दुकानदार के खिलाफ उपभोक्ताओं की प्राप्त शिकायत पर उचित मूल्य दुकानदार को नोटिस देकर उचित कार्यवाही करना है, जबकि अपीलान्ट के विरूद्व सतर्कता समिति की 1987 से लेकर 2015 तक किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं रही है। अपीलान्ट ने राशन सामग्री प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार के आदेशानुसार अपनी ईमानदारी एवं लगन से वितरण किया है।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

(3) जिला रसद अधिकारी द्वारा एक कारण बताओ नोटिस संख्या 2014/585 दिनांक 02.07.2014 को जारी किया गया कि खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जारी स्टॉक रजिस्टर में माह अप्रैल दिनांक 28.04.2014 को 18.20 क्विंटल गेहूं का वितरण दर्ज है। वितरण रजिस्टर में दिनांक 28.04.2014 को किसी प्रकार की राशन सामग्री का वितरण दर्ज नहीं पाया। उक्त अनियमितता का अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत गुरारा में 1/2 भाग स्थायी और 1/2 भाग अस्थायी का राशन डीलर नियुक्त है। अपीलान्ट दोनों भागों के लिए स्टॉक रजिस्टर एक ही संधारित करता है, जबकि वितरण रजिस्टर अलग–अलग संधारित करता है। निरीक्षक के द्वारा वितरण रजिस्टर में अंकन का जो आरोप लगाया है, वह स्थायी व अस्थायी का वितरण रजिस्टर अलग–अलग होने के कारण ऐसा हुआ है। विभाग की ओर से मांगने पर सम्पूर्ण रिकॉर्ड 2013–2014 का अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02.09.2014 को बस द्वारा खण्डेला से श्रीमाधोपुर के लिए रवाना हुआ उसी दौरान सम्बन्धित रिकॉर्ड गुम हो गया, जिसकी रिपोर्ट अपीलान्ट द्वारा पुलिस थाना श्रीमाधोपुर के यहां प्रस्तुत की। अपीलान्ट द्वारा उक्त नोटिस का जवाब दिनांक 22.09.2014 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

(4) रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.07.2014 का अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.09.2014 को जवाब देने के पश्चात रेस्पोडेन्ट पक्ष जवाब से सन्तुष्ट होकर तथा अपीलान्ट के विरूद्व दर्ज अनियमितता सारहीन मानते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.09.2014 को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया था।

(5) अपीलान्ट पर दूसरी अनियमितता सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी फूलचन्द व मुक्तिलाल को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अपीलान्ट से रिकॉर्ड चाहा गया था लेकिन अपीलान्ट द्वारा रिकॉर्ड गुमशुदगी की सूचना दे दी गई थी, जो सन्देहजनक प्रतीत होती है। उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से विभाग को अवगत करवा दिया कि उसका रिकॉर्ड गुम हो चुका है।

(6) अपीलान्ट पर तीसरी अनियमितता यह दर्ज है कि शिकायतकर्त्ता के बयानों के आधार पर गेहूं एक माह छोड़कर एक माह दिया दिया जाना दर्ज है लेकिन वितरण रजिस्टर के अभाव में जांच करना सम्भव नहीं है। उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में ग्राम गुरारा में लगभग 1400 राशन उपभोक्ता हैं, जिनको वितरण करने हेतु प्रतिमाह 350 क्विंटल गेहूं की आवश्यकता होती है, जबकि अपीलान्ट को प्रतिमाह लगभग 150 क्विंटल गेहूं प्राप्त होते हैं। अपीलान्ट के द्वारा 150 क्विंटल गेहूं अपने उपभोक्ताओं को वितरण कर दिये जाते हैं। गेहूं कम मिलने के कारण से जो उपभोक्ता शेष रह जाते हैं उन उपभोक्ताओं को पुनः गेहूं मिलने पर सबसे पहले वितरण किया जाता है।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जिला रसद अधिकरी सीकर दिनांक **27.02.2015** को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से इन्द्रपाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.07.2014 का अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.09.2014 को जवाब देने के पश्चात रेस्पोडेन्ट जवाब से सन्तुष्ट होकर तथा अपीलान्ट के विरूद्व दर्ज अनियमितता सारहीन मानते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.09.2014 को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया था। विभाग की ओर से मांगने पर सम्पूर्ण रिकॉर्ड 2013–2014 का अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02.09.2014 को बस द्वारा खण्डेला से श्रीमाधोपुर के लिए रवाना हुआ उसी दौरान सम्बन्धित रिकॉर्ड गुम हो गया, जिसकी रिपोर्ट अपीलान्ट द्वारा पुलिस थाना श्रीमाधोपुर के यहां प्रस्तुत की। अपीलान्ट द्वारा उक्त नोटिस का जवाब दिनांक 22.09.2014 को प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक **27.02.2015** निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से इन्द्रपाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक ने उपस्थित होकर अभिकथन किया कि खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जारी स्टॉक रजिस्टर में माह अप्रैल दिनांक 28.04.2014 को 18.20 क्विंटल गेहूं का वितरण दर्ज है। वितरण रजिस्टर में दिनांक 28.04.2014 को किसी प्रकार की राशन सामग्री का वितरण दर्ज नहीं पाया। शिकायतकर्त्ताओं के बयानों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा गेहूं एक माह छोड़कर एक माह दिया दिया जाना दर्ज है लेकिन वितरण रजिस्टर के अभाव में जांच करना सम्भव नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के तहत प्रदत्त प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 17(ग) एवं 18 का उल्लघंन किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय आदेश दिनांक 01.07.2014 द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार–पत्र आगामी आदेशों तक निलम्बित किया गया है तथा दिनांक 02.07.2014 द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

योजना मं जारी स्टॉक रजिस्टर में माह अप्रैल में दिनांक 28.04.2014 को 18.20 क्विंटल गेहूं का वितरण दर्ज है, जबकि वितरण रजिस्टर में दिनांक 28.04.2014 में किसी प्रकार की राशन सामग्री का वितरण दर्ज होना नहीं पाया गया, का स्पष्टीकरण देने हेतु अपीलान्ट को दिनांक 14.07.2014 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.09.2014 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे सन्तुष्ट होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने कार्यालय आदेश दिनांक 26.09.2014 को अपीलान्ट का प्राधिकार–पत्र बहाल किया गया है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय आदेश दिनांक 05.12.2014 द्वारा अपीलान्ट को पुनः कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 3 बिन्दुओं में अनियिमितता को दर्शाते हुए अपीलान्ट को दिनांक 30.12.2014 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.12.2014 को जवाब प्रस्तुत किया गया है।

(3) अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 30.12.2014 में अंकित किया गया है कि बिन्दु संख्या 1 की अनियमितता के सम्बन्ध में दिनांक 29.06.2014 को निस्तारण किया जा चुका है। बिन्दु संख्या 2 एवं 3 के सम्बन्ध में रिकॉर्ड गुम होने की सूचना अधीनस्थ न्यायालय को दी गई है।

7. उपरोक्त पैरा संख्या 6 के विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.12.2014 द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 3 बिन्दुओं में अनियिमितता को दर्शाते हुए अपीलान्ट को दिनांक 30.12.2014 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिन्दु संख्या 1 की अनियमितता के सम्बन्ध में दिनांक 29.06.2014 को निस्तारण किया जा चुका है। बिन्दु संख्या 2 एवं 3 के सम्बन्ध में रिकॉर्ड गुम होने की सूचना अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दे दी गई थी। अतः **जिला रसद अधिकारी सीकर का आदेश दिनांक 27.02.2015 अपास्त** किया जाता हैं। प्रकरण जिला रसद अधिकारी सीकर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पूरे प्रकरण की पुनः समीक्षा कर अपना विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांकः **27 अगस्त, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner